



Neutral Citation No-2026:AHC:5605

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5148 वर्ष 2025

प्रदीप कुमार और 3 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: हिमांशु शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कौशल किशोर मणि

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, गांव सभा के अधिवक्ता और राज्य प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत समेकन अधिनियम, 1953 की धारा 9-ए(2) के तहत चकबंदी अधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही के शीघ्र निपटान की मांग करते हुए प्रस्तुत याचिका दायर की गई है।
3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि चकबंदी के उप निदेशक ने दिनांक 31.07.2025 (अनुलग्नक संख्या-3) के आदेश के माध्यम से संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद यू.पी.सी.एच. अधिनियम, 1953 की धारा 9-ए(2) के तहत कार्यवाही का फैसला करने के लिए चकबंदी अधिकारी के समक्ष मामले को भेज दिया है। हालांकि, आज तक, कार्यवाही शुरू करने और इसे तेजी से तय करने के लिए कोई उपयोगी कदम नहीं उठाए गए हैं।
4. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले को शीघ्रता से तय करने के लिए कोई निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा। इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका में उल्लिखित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है, इस निर्देश के साथ कि प्रस्तुत याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ-साथ प्रस्तुत रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ आज से दो सप्ताह की स्वतंत्र होंगे। एक आवेदन प्राप्त करने के बाद, चकबंदी अधिकारी मामले को आगे बढ़ाएगा और दस महीने की अवधि के भीतर कार्यवाही को तेजी से तय करने का प्रयास करेगा।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंततः निपटारा किया जाता है।

9 जनवरी, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)